राजस्थान–सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) दूनी

कमांक 1887 दिनांक 09/11/17

निविदा सूचना

मृदा परीक्षण प्रयोगशाला दूनी एंव देवली में सॉयल हैल्थ कार्ड योजनान्तर्गत प्राप्त मृदा नमूने के सॉयल हैल्थ कार्ड तैयार करने तथा विभागीय साफ्टवेयर पर मृदा नमूने के डाटा इन्द्राज कर कार्ड प्रिटिंग मय पोलीथीन कवर उपलब्ध कराने हेतु एवं प्रयोगशाला मे तकनिकी एवं सहायक कार्य सेवा प्रदाता संस्था से जॉब आउटसोर्स आधार पर करवाने बाबत् निविदाएं आमंत्रित की जाती है उपरोक्त कार्यो कि अनुमानित लागत रूपये 8.70 लाख होगी।

इच्छुक सेवा प्रदाता संस्था निविदा प्रपत्र कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 16.11.2017 से दिनांक 30.11.2017 प्रातः 11.00 बजे तक प्राप्त कर दिनांक 30.11.2017 को 01.00 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है, प्राप्त निविदाएं दिनांक 30.11.2017 को 03.00 बजे अपरान्ह उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कमेटी द्वारा खोली जावेंगी अन्य शर्ते निविदा प्रपत्र http:/sppp.raj.gov.in पोर्टल कृषि विभाग की वेब साइट www.krishi.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय में देखी जा सकती है।

सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)
दूनी, जिला टोंक

राजस्थान–सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक कृषि(विस्तार), दूनी जिला टोंक

निविदा की शर्ते

1. इच्छुक निविदादाताओं को निविदा में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में निविदा प्रस्तुत करनी होगी निविदादाता को तकनिकी एवं वित्तीय निविदा पृथक–पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी एवं उसके उपर जिस कार्य हेतु कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही हे का उल्लेख करना होगा। तकनिकी एवं वित्तीय निविदाओं को एक बडे मोहरबंद लिफाफे में रखकर प्रस्तुत करना होगा, जिस पर स्पष्ट रूप से ''सॉयल हैल्थ कार्ड डाटा अपलोड, प्रिन्टिग एवं प्रयोगशाला के सहायक एवं तकनिकी कार्य हेतु निविदा लिखना होगा। निविदा दाता उपरोक्त दोनों प्रकार के कार्यों में से दोनों के लिये अथवा एक के लिये निविदा प्रस्तुत कर सकता है एवं उसे बयाना राशि उन्ही कार्यो के अनुरूप सलग्न करनी होगी।

2. निविदा की अनुमानित लागत पृथक–पृथक कार्यो के लिए निम्नानुसार है

   - डाटा अपलोड कार्य एवं कार्ड प्रिंटिग मय पॉलीथीन कवर – 5.00 लाख रूपये
   - प्रयोगशाला सहायक एवं तकनिकी कार्य – 3.70 लाख रूपये

   इच्छुक निविदादाता रूपये 200/– कार्यालय में नकद जमा करवाकर निविदा प्रपत्र दिनांक .... से .... तक कार्यालय समय में कार्यालय से क्रय कर सकते है।

3. निविदा प्रपत्र मय बयाना राशि जोकि अनुमानित लागत के 2 प्रतिशत मूल्य के बराबर होगी, नगद/बैंक ड्राप्ट/बैंकर्स चैक जो सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) दूनी, टोंक के नाम देय हो सलंग्न कर दिनांक .... को दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। देरी से प्राप्त होने वाली एवं बयाना राशि के बिना प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। दिनांक .... को अपरान्ह 3.30 बजे कमेटी एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष तकनिकी निविदायें खोली जावेगी एवं उसी दिन तकनिकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।

4. व्यक्तियों से किसी भी प्रकार का निजी अनुबन्ध नहीं किया जावेगा तथा प्राइवेट प्लेसमेन्ट एजेन्सी से भी व्यक्तियों का अनुबन्ध नहीं किया जावेगा, केवल कार्य का अनुबन्ध किया जायेगा।

5. निविदा में किसी प्रकार की काट–छांट नहीं करें। ऐसी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

6. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र एवं ऐसा कार्य करने के न्यूनतम एक वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोप्रति सलंग्न करें।

7. निविदादाता को अपना पेन कार्ड की फोटो प्रति सलंग्न करना आवश्यक है।

8. निविदा फार्म को पेन/बालपेन से अथवा टंकण से भरा हुआ ही प्रस्तुत किया जावे, पेन्सिल से भरा हुआ निविदा फार्म स्वीकार नहीं किया जावेगा।

9. निविदादाता को अपनी दरें अंको एवं शब्दों में साफ–साफ लिखनी चाहिये इनमें कोई त्रुटिया/अपनलेखन/अशुद्धियों /कांट–छांट नहीं होनी चाहिये।

10. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

11. निविदादाता को इस हेतु कोई अग्रिम राशि का भुगतान नही किया जावेगा।

12. सॉयल हैल्थ कार्ड तैयार करने के लिये प्रयोगशाला द्वारा एक सप्ताह में विश्लेषित किये गये नमूनों को डाटा निविदादाता को एक सप्ताह के अन्दर अपलोड एवं प्रिंट करना होगा। सप्ताहभर में विश्लेषित नमूनों के रिजल्ट निविदादाता को स्वंय प्रयोगशाला से एकत्र करने होगें और तैयार सॉयल हैल्थ कार्ड प्रयोगशाला में ही उपलब्ध कराने होगें। मृदा नमूना विश्लेषण उपरान्त उस नमूना ईकाई में आने वाले समस्त (खसरों के) किसानों को अलग–अलग सॉयल हैल्थ कार्ड देना होगा। जिसके लिये अधिकतम राशि 50रू. प्रति मृदा नमूना देय होगी।

13. प्रयोगशाला में मृदा नमूना विश्लेषण कार्यो जैसे– अभिकर्मक तैयार करना, नमूनों को जॉच हेतु लगाना, विश्लेषण करना, उपकरणों का संचालन एवं विश्लेषण परिणाम तैयार करने हेतु एक तकनीकी व्यक्ति न्यूनतम विज्ञान स्नातक योग्यता का लगाया जाना आवश्यक है।

14. प्रयोगशाला में प्रतिदिन विश्लेषण कार्य के लिये नमूना तैयार करने (कूटने छानने) सहित सेट लगवाने, प्लास्टिक वेयर–ग्लासवेयर धोने, प्रयोगशाला में विश्लेषण कार्य के पूर्व एवं पश्चात् प्रयोगशाला की साफ–सफाई आदि सहायक कार्यो हेतु एक हैल्पर न्यूनतम आठवी पास योग्यता का लगाया जाना आवश्यक होगा। क्र.सं. 13 व 14 पर वर्णित दोनों कार्यो हेतु अधिकतम राशि 37 रू. प्रति मृदा नमूना देय होगी।

15. सॉयल हैल्थ कार्ड प्रिन्टिग का कार्य निविदादाता को 100 GSM के A-4 पेपर पर रंगीन प्रिन्टर से करना होगा। जिसके मुख पृष्ट पर मृदा से संबंधित सामान्य जानकारी होगी तथा पृष्टभाग पर सॉप्टवेयर से सॉयल हैल्थ कार्ड का प्रिन्ट लेना होगा। मृदा से संबंधित जानकारी का प्रारूप कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवा दिया जावेगा।

16. पेपर की व्यवस्था निविदादाता स्वंय द्वारा की जावेगी एवं पेपर की गुणवत्ता की जांच विभाग द्वारा कभी भी करवायी जा सकेगी। पेपर उचित गुणवत्तता का नही पाया गया तो निविदादाता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

17. सॉयल हैल्थ कार्ड 80 माईक्रोन के जीप युक्त प्लास्टिक कवर में देना होगा। जिसकी लम्बाई 13.0 इंच, चौडाई 8.5 इंच एवं मोटाई 80 माईक्रोन होगी।

18. फर्म को भुगतान उसके द्वारा कार्यालय को उपलब्ध करवाये गये बैंक खाते में ऑन लाइन किया जावेगा। इस हेतु फर्म को अपने बैंक की पूर्ण डिटेल/ पैन न. मोबाईल नम्बर आदि कार्यालय को उपलब्ध करवानी होगी।

19. फर्म को अपनी दरें सभी करो को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत करनी होगी।

20. फर्म को किये जाने वाले भुगतान से नियमानुसार जीएसटी/टीडीएस की कटोती की जावेगी जिसका फार्म 16–ए फर्म को उपलब्ध करवा दिया जावेगा।

21. फर्म द्वारा भुगतान प्राप्त करने हेतु बिल कम से कम 1000 के डाटा एन्ट्री और 5000 सॉयल हैल्थ कार्ड के प्रिंट उपलब्ध करने पर प्रस्तुत करना होगा।

22. फर्म का भुगतान बजट उपलब्धता पर निर्भर होगा यदि कभी बजट आंवटन प्राप्त नही होगा है तो भुगतान विलम्ब हो सकता है।

23. अनुमोदित दरें अनुबंध तिथि से दिनांक 31.03.2018 तक ही मान्य होगी, इस अवधि को आपसी सहमति से आगामी तीन माह तक बढाया जा सकेगा।

24. निविदादाता अपनी निविदा/संविदा को या उसके किसी भाग या कार्य को किसी अन्य ऐजेन्सी को नही सोपेगा या उसे भाडे पर नही देगा।

25. साईट से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने पर उसके साथ निविदा फार्म शुल्क के भुगतान एवं बयाना राशि का बैंकर्स चैक अथवा डिमान्ड ड्राप्ट जो सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) दूनी जिला टोंक के नाम देय हो सलंग्न करना आवश्यक है। सलंग्न नही होने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी। उक्त डी.डी.बैंकर्स चेक क्रास नही होना चाहिये।

26. सफल निविदादाता को सात दिन के अन्दर नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा कराकर 500/– रूपये के निर्धारित नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर हस्ताक्षर कर अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करना होगा।प्रतिभूति राशि कुल लागत की 5 प्रतिशत होगी, सफल निविदा दाता की बयाना राशि को भी इसमे शामिल कर लिया जावेगा ।

27. संविदा की शर्तो का उल्लघन करने या कार्य सन्तोषप्रद नही होने तथा निविदा सफल होने के उपरान्त भी कार्य नही करने कि स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

28. करार पत्र को पूर्ण करने एवं व्यय आदि का भुगतान निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा

29. उपरोक्त के अलावा अन्य शर्ते राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा समान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार लागू होगे।

30. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार /निरस्त करने का व निविदा शर्तो मे संशोधन का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।

31. तकनिकी निविदा के शैक्षणिक व तकनिकी योग्यता सम्बंधि प्रमाण पत्र तथा अनुभव प्रमाण–पत्र ,पंजीयन प्रमाण–पत्र पेन कार्ड की फोटो प्रति,बयान राशि के डी.डी. आदि संलग्न करने होगे एवं वित्तीय निविदा लिफाफे में केवल शिडयुल जी में कार्य की दर अंकित कर प्रस्तुत करें ।

32. सम्पूर्ण कार्य कि दरे प्रति मृदा नमूने देनी होगी।

सहायक निदेशक कृषि (वि0) दूनी हस्ताक्षर निविदादाता